

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-

(पत्रांक-112/2024 दिनांक 21.04.2024)

दिनांक-21.04.2024 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-

थाना तरयासुजान पुलिस द्वारा गैंगेस्टर एक्ट के मुकदमे में वांछित एक महिला व एक पुरुष सहित दो अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 21.04.2024 को थाना तरया सुजान पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 129/2024 धारा3(1) युपी गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 1. तैमुद्दीन पुत्र तारिख साकिन सुमही बुजुर्ग उर्फ मेहंदिया थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर, 2. एक महिला अभियुक्ता को गिरफ्तार कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत/आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 129/2024 धारा3(1) युपी गैंगेस्टर एक्ट थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर

2-मु0अ0सं0 312/2023 धारा 3/5A/8 गो0 नि0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0

गिरफ्तार वांछित अभियुक्तगण-

1. तैमुद्दीन पुत्र तारिख साकिन सुमही बुजुर्ग उर्फ मेहंदिया थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर

2. एक महिला अभियुक्ता

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री आशुतोष सिंह थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर

2. अपराध निरीक्षक महेन्द्र प्रताप सिंह थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर

3. उ0नि0 आलोक सिंह थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर

4. उ0नि0 प्रभात यादव थान तरया सुजान जनपद कुशीनगर

6. प्र0उ0नि0 अंकित सिंह थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर

7. म0प्र0उ0नि0 पल्लवी राय थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर

8. का0 मनोज कुमार थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर

9. का0 अवनिश सिंह थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर

10. का0 श्रीकृष्ण मौर्य थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर

थाना अहिरौलीबाजार पुलिस द्वारा नकबजनी/चोरी के मुकदमें में 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 21.4.2024 को थाना अहिरौली बाजार

पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 118/2024 धारा 457/380 भादवि व मु0अ0सं0 119/2024 धारा 457/380 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 1. विजय उर्फ गोलू साहनी पुत्र जगदीश साहनी साकिन पकड़ी बाबन थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

- 1-मु0अ0सं0 118/2024 धारा 457/380 भादवि थाना अहिरौली बाजार कुशीनगर
- 2- मु0अ0सं0 119/2024 धारा 457/380 भादवि थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-

- 1-विजय उर्फ गोलू साहनी पुत्र जगदीश साहनी साकिन पकड़ी बाबन थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाले टीम-

- 1-उ0नि0 श्री राजनरायन यादव थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
- 2-उ0नि0 पुरुषोत्तम पाण्डेय थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
- 3-कां0 देवेन्द्र यादव थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 19नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में =

- 1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-00वाहन
- 2- 107/116 में की गयी कार्यवाही-मु0-88,व्यक्ति-626
- 3- वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(03)
- 4-जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-22)

सोशल मीडिया सेल

जनपद कुशीनगर